

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, मावली, उदयपुर

प्रार्थी सुमित्रा विपक्षी कन्हैयालाल  
 किस्म मुकद्मा वाफ पत्रावली संख्या 171/18 सन्     

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर सूचनाएं
	<p><u>22/12/23</u>                      कुलाय वादी / प्रतिवादी उप. <u>तलवी / पत्रावली / अहकाम</u>                      के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>अंतिम</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>22/03/24</u>                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>U</u>                      SDO, मावली</p>	
	<p><u>22/03/24</u>                      पत्रावली पेश <u>उ.</u> वकील प्राथी/अपीलाण्ट/                      प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन                      अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/सिडिंग <u>उपस्थित</u>                      में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में <u>अवकाश</u>                      दिनांक <u>14/06/24</u> को पेश हो</p>	
	<p><u>14/11/24</u>                      कुलाय वादी / प्रतिवादी उप. <u>तलवी / पत्रावली / अहकाम</u>                      के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>अंतिम</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>23/8/24</u>                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>U</u>                      SDO, मावली</p>	
	<p><u>23/8/24</u>                      कुलाय वादी / प्रतिवादी उप. <u>तलवी / पत्रावली / अहकाम</u>                      के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>अंतिम</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>18/10/24</u>                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>U</u>                      (SDO) मावली</p>	
	<p><u>18/10/24</u>                      पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मध्य वादीगण                      अनुपस्थित। अधिवक्ता मध्य वादीगण को आवाजे दिलवाई                      गई। समय सांघ 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता मध्य वादीगण                      अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता मध्य वादीगण अनु.                      रहने पर वादीगण का वाद अहम हाजरी अहम पैरवी में                      थारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार लेकर नम्बर से                      क्रम हो।</p> <p>निर्णय सुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	



सहायक कलेक्टर  
(SDO) मावली